

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत
स्थित जिला न्यायालय भवन, चम्पावत
अधिवक्तागण के मीडिएटर चयन हेतु आवेदन सूचना

माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के पत्रांक-2486/5-PCP-II/UKSLSA/2026 के निर्देशानुसार वर्तमान में मुख्यालय तथा बाह्य न्यायालय, टनकपुर में मीडिएशन हेतु मीडिएटर अधिवक्ता की नियुक्ति की जानी है जिस हेतु योग्यता, अयोग्यता एवं आवेदन प्रक्रिया निम्नवत है:-

आवेदन करने हेतु योग्यता:-

1. न्यायिक अधिकारी-

- भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
- मननीय उच्च न्यायालय के माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
- सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा समकक्ष पद वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

2. विधिक व्यवसायी (लीगल प्रैक्टिशनर)-

- ऐसे अधिवक्ता, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या समकक्ष स्तर के न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव हो।

3. विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर-

- ऐसे विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर, जिन्हें कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो तथा सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाह या सेवानिवृत्त वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी।

4. मध्यस्थता में विशेष संस्थाएं-

- मध्यस्थता के क्षेत्र में विशेषज्ञ संस्थाएं जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त हो।

प्रावधान- संस्था के सदस्यों के नामों को प्रारम्भ में या जब भी संस्था की सदस्यता में कोई परिवर्तन हो, उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होगा।

5. वैकल्पिक विवाद समाधान का अनुभव-

- जिन व्यक्तियों को वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया और विशेष रूप से सुलह एवं मध्यस्थता के संबंध में अनुभव हो, उन्हें सुलह या मध्यस्थता के उद्देश्य से पैनल में शामिल किये जाने के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी।

6. आवेदक अधिवक्ता जो भी मीडिएटर के रूप में अपनी सेवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत में देने के लिए इच्छुक हों उनको अपनी उपलब्धता चम्पावत न्यायालय एवं बाह्य न्यायालय, टनकपुर के लिए आवश्यकता होने पर सुनिश्चित करनी होगी।

अयोग्यता:-

- कोई भी व्यक्ति, जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो या जिसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो; अथवा
- कोई भी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक पतन से संबंधित आपराधिक आरोप निर्धारित किये गये हों और वे लंबित हो या दोषी टहराया गया हो; अथवा


12/9/26
सचिव/सिविल जज (सॉर्टाउट)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चम्पावत

- कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; अथवा
- ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही या आरोप शुरू किये गये हों, जो लंबित हो या जिनके परिणाम स्वरूप दण्ड दिया गया हो; अथवा
- ऐसे अन्य श्रेणी के व्यक्ति, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया:-

इच्छुक आवेदनकर्ता आवेदन पत्र का प्रारूप जिला न्यायालय की वेबसाइट <https://champawat.dcourts.gov.in> से डाउनलोड कर कार्यालय में स्वयं कार्य दिवस पर सांय 05:00 बजे तक जमा कर सकते हैं अथवा डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि-25 सितम्बर, 2026 समय सांय-04:00 बजे तक है। चयन प्रक्रिया में अंतिम निर्णय केवल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत का होगा और इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

नोट- अपूर्ण या विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत के फोन नम्बर-9456362650, 05965230915 ईमेल-आईडी-dlsachp5@gmail.com पर संपर्क करें। साक्षात्कार की तिथि की जानकारी कार्यालय की वेबसाइट पर दी जाएगी।


 (भवदीप सिंह रावते)
 सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड)/सचिव,
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
 चम्पावत।
 सचिव /सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड)
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
 चम्पावत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, चम्पावत

District Legal Services Authorities, Champawat

(Constituted under the Legal Services Authorities Act. 1987)

मीडिएटर अधिवक्ता हेतु आवेदन पत्र का विहित प्रारूप।

1. अधिवक्ता का नाम—
2. पिता/पति का नाम—
3. पत्र व्यवहार का पता—
4. स्थायी पता—
5. जन्म तिथि (अंको व शब्दों में)—
6. पंजीकरण संख्या व वर्ष तथा कुल अनुभव की अवधि (प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित प्रति दाखिल करें)—
7. सम्बंधित बार एसोसिएशन का नाम (परिचय पत्र की स्वप्रमाणित प्रति दाखिल करें)—
8. ई-मेल आईडी एवं व्हॉटसप नम्बर—

दिनांक—

स्थान—

अधिवक्ता के हस्ताक्षर।

उद्घोषणा—मैं घोषित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरी निजी जानकारी में सही एवं सत्य है।

दिनांक—

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर।